616

5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

मान. न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक – ~~2018~~ अपील – 6490/2018/नीमच/भू.रा.

रामचन्द्र पिता भेरूलाल भील, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील सिंगोली जिला नीमच म.प्र. –– **अपीलार्थी**

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला नीमच
2. भंवरसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी सिंगोली जिला नीमच म.प्र.

–– **रेस्पान्डेंटगण**

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी अधि. 18.12.18 को प्रकरण प्रारंभिक तर्क हेतु प्रस्तुत! दिनांक 19/12/18 नियत। राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग के प्रकरण क्र. 1028/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 12–10–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर अपील अंदर अवधि प्रस्तुत करता हैं :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील, विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अपीलार्थी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी होकर खाते की कृषि भूमि मौजा ग्राम प्रेमपुरा प.ह.नं. 09 राजस्व निरीक्षक मण्डल 01 सिंगोली तहसील सिंगोली जिला नीमच म.प्र. में खाता भूमि सर्वे नंबर 127/इई–4 रकबा 1.000 हे. स्थित है। जिसको अन्यत्र कहीं भी रहन, बय, नहीं की गयी है तथा हर प्रकार के ऋण भार से मुक्त है।

3. यह कि, अपीलांट को बाजारू कर्ज चुकाने व मौजा ग्राम प्रेमपुरा प.ह.नं. 09 राजस्व निरीक्षक मण्डल 01 सिंगोली तहसील सिंगोली जिला नीमच में स्थित अन्य खाता भूमि सर्वे नंबर /इइ–2 रकबा 1.000 हे. को समतलीकरण करवाने व हांक जोत कर उपजाउ बनाने तथा सिंचाई के लिये कुआ/ट्यूबवेल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील/6490/2018/नीमच/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/12/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्र0क्र0 1028/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 12-10-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम प्रेमपुरा तहसील सिंगोली, जिला नीमच स्थित कृषि भूमि पुराना सर्वे नंबर 127/इइ-4 रकबा 1.000 हैक्टर है । अपीलार्थी के नाम से ही ग्राम प्रेमपुरा में स्थित अन्य भूमि सर्वे नंबर 149/इइ-4 रकबा 1.000 भूमि को समतलीकरण करवाने एवं हांकजोत कर उपजाऊ बनाने, सिंचाई के लिए कुंआ/टयूबबैल स्थापित करने के लिए रूपयों की आवश्यकता है अत: ग्राम प्रेमपुरा तहसील सिंगोली, जिला नीमच स्थित कृषि भूमि पुराना सर्वे नंबर 127/इइ-4 रकबा 1.000 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये । कलेक्टर ने उक्त आवेदन आदेश दिनांक 10-1-18 द्वारा निरस्त किया गया । जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं जिन आधारों पर कलेक्टर ने उनका भूमि विक्रय का आवेदन	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील/6490/2018/नीमच/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	क्रेता एवं विक्रेता के कथन अंकित किये जाकर यह मानते हुए किए आवेदक/विक्रेता पर भूमि विक्रय करने के लिए कोई दबाव या भय प्रलोभन नहीं है भूमि विक्रय की अनुशंसा की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अपीलार्थीगण का आवेदन सदभाविक प्रतीत होने से भूमि विक्रयकी अनुमति दिए जाना प्रस्तावित किया गया है । उक्त तथ्यों को देखते हुए तथा अपीलार्थीगण द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए एवं अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उनके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से मूल्य दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को शासन से पट्टे पर प्राप्त आवेदित प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः अपीलार्थी को उनके स्वामित्व की ग्राम प्रेमपुरा तहसील सिंगोली, जिला नीमच स्थित कृषि भूमि पुराना सर्वे नंबर 127/इ्-4 रकबा 1.000 हैक्टर भूमि को प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य अपीलार्थी को अदा किया जायेगा । उक्त प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 6 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । उक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यह अनुमति स्वत: निष्प्रभावी मानी जावेगी । परिणामत: अपर आयुक्त, द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-18 एवं कलेक्टर, जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-10-18 निरस्त किये जाते हैं तथा यह अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	